वेतन निर्धारण

आर0एल0त्रिपाठी,
उप निदेशक

वेतन निधारण की व्यवस्था को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम खण्ड में लगभग सभी संभावित दशाओं में वेतन निर्धारण एवं द्वितीय खण्ड में केवल ए0सी0पी की व्यवस्था का उल्लेख है।

प्रथम खण्ड (अ)

वेतन – वह धनराशि जो सरकारी कर्मचारी प्रतिमास पाता हैं (मूल नियम 9(21))।
प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी न किसी पद का वेतन प्राप्त करता है। यह वेतन कितना होगा, इसकी व्यवस्था मूल नियम–19 में इस प्रकार है– ''किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन उस वेतन से अधिक न होगा, जो सक्षम प्राधिकारी ने उस पद के लिए स्वीकृत किया हो, जिस पद पर वह नियुक्त हो। शासन की स्वीकृति के बिना किसी सरकारी कर्मचारी को कोई विशेष या व्यक्तिगत वेतन प्रदान नहीं किया जायेगा।''
सामान्यतः पद परिवर्तन या पद के वेतन में परिवर्तन होने पर वेतन निर्धारण की आवश्यकता पड़ती है।

वेतन निर्धारण की दशायें–

वेतन–निर्धारण से प्रायः मूल नियम–9 (21)(1) में परिभाषित ''वेतन'', जिसे सामान्यतया ''मूल वेतन' के रूप में जाना जाता है, की अनुमन्यता सुनिश्चित होती है। वेतन–निर्धारण के प्रकरणों को सामान्यतया निम्नलिखित दशाओं/कोटियों में विभक्त किया जा सकता है–

(1) प्रथम नियुक्ति–योगदान।
(2) ऐसे पद पर नियुक्ति/पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों।
(3) ऐसे पद पर नियुक्ति/पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण न हों।
(4) समान वेतनक्रम के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति।
(5) किसी निम्न वेतनमान के पद पर सरकारी कर्मचारी के लिखित प्रार्थना–पत्र पर मूल नियम–15(क) के अन्तर्गत नियुक्ति/स्थानान्तरण।
(6) सरकारी सेवक, जिसका धारणाधिकार (LIEN) नहीं है, की अन्य पद, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद से कम अथवा बराबर हैं, पर नियुक्ति।
(7) केन्द्रीय सरकारी सेवक की उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत नियुक्ति।
(8) सार्वजनिक उपक्रम/निगम अथवा विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

(9) किसी सेवा के पश्चात् ''व्यवधान'' हो जाने पर, जो त्यागपत्र (Resignation) या पृथक्करण (Removal) या पद्च्युति (Dismissal) के कारण न हो, पुनः उसी पद पर अथवा तत्समान (Identical) वेतनक्रम में किसी अन्य पद पर नियुक्ति।
(10) पूर्वगामी तिथि से (काल्पनिक/सैद्धांतिक/नोशनल/प्रोफार्मा) पदोन्नति।

(11) छंटनीशुदा/फालतू सेवकों की नियुक्ति।

(12) दिनांक 30–11–2008 तक लागू ''समयमान वेतनमान'' की व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश से स्वीकृत सेवा–लाभ की अनुमन्यता।
(13) ''समयमान वेतनमान'' की अनुमन्यता के पश्चात् तत्समान वेतन में ही पदोन्नति।
(14) पूर्व व्यवस्था (अपुनरीक्षित वेतन–संरचना) में वृद्धिरोध–वेतनवृद्धि की अनुमन्यता।
(15) प्रतिनियुक्ति/सेवा–स्थानान्तरण।
(16) ''नान फॅक्शनल ग्रेड'' की अनुमन्यता।
(17) समय–समय पर पुनरीक्षित/संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन–निर्धारण।
(18) संवर्गीय पुनर्गठन (कैडर–रिव्यू)
(19) प्रत्यावर्तित होने पर।
(20) सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति।

वेतन निर्धारण की प्रक्रिया–

यथास्थिति प्रकरण–विशेष में सुसंगत नियमों–आदेशों के अनुसार वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत् अपनायी जानी चाहिये :–

(1) प्रथम नियुक्ति–योगदान पर वेतन–निर्धारण :–

(क) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना से पूर्व लागू रहे वेतनमानों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम नियुक्ति योगदान के फलस्वरूप वेतन की अनुमन्यता तत्सम्बन्धित ''वेतनक्रम में न्यूनतम स्तर अर्थात आरम्भिक स्तर'' के अनुसार ही रही है, और इसके लिये प्रायः अलग से वेतन निर्धारण की आवश्यकता नहीं रही है।

(ख) दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य प्रारम्भिक वेतन–स्तर का विवरण उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–6 में संदर्भित संलग्नक–2 (ब) के अनुसार निम्नवत् है –

वेतन बैण्ड–1 (रू0 5,200–20,200)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

वेतन बैण्ड–2 (रू0 9,300–34,800)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैण्ड–3 (रू0 15,600–39,100)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैण्ड–4 (रू0 37,400–67,000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	कुल
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

(2) ऐसे पद पर नियुक्ति/पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों।

<u>नियम/शासनादेश</u>
मूल नियम 22 (क) (एक) एवं 22–बी
शासनादेश संख्या जी–2–724/दस–88–303/88 दिनांक 17–09–1988

1–(क) कोई सरकारी सेवक किसी पद पर स्थायी, अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो, उसकी पदोन्नति अथवा नियुक्ति स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से ऐसे पद पर होती है, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों, तो उच्च पद पर प्रारम्भिक वेतन, निम्न पद पर देय वेतन में आगामी वेतनवृद्धि के बराबर धनराशि नोशनल (काल्पनिक) वृद्धि जोड़कर जो धनराशि होगी, उसके अगले उच्च स्तर पर, निर्धारित किया जायेगा।

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक निम्न पद (पूर्व पद) के वेतनमान में अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहा हो तो उसके पूर्व प्राप्त वेतनवृद्धि की धनराशि नोशनल (काल्पनिक) वृद्धि के रूप में जोड़कर जो धनराशि आये, उसके अगले उच्च स्तर पर उच्च पद के वेतनमान में वेतन निर्धारित होगा।

शासनादेश सं0–सा–2–1454/दस–301/81 दिनांक 30–10–1981
शासनादेश संख्या जी–2–854/दस–333/88 दिनांक 17–09–1988

(ग) यदि सरकारी सेवक चाहे, तो मूल नियम 22–बी की उक्त प्रक्रिया के अनुसार वेतन–निर्धारण उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा निम्न पद पर वेतनवृद्धि की तिथि से करा सकता है। इस आशय का विकल्प पदोन्नति की तिथि से एक माह के अन्दर दे देना चाहिए अन्यथा पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण कर दिया जाना चाहिये।

2– उपर्युक्त नियमों–शासनादेशों के परिपेक्ष्य में इसी प्रकार से दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी दिनांक 01–01–2006 को या उसके बाद एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 (प्रस्तर–11) सपठित शासनादेश संख्या– जी–2– 212/दस–2009–333/86, दिनांक 03–03–2009 (विकल्पानुसार निम्नवत् की गयी है–)

(क) वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुये एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन में जोड़ी जायगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के ''वेतनबैण्ड में

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

वेतन'' होगी, जिसके साथ पदोन्नति पद का ''ग्रेड वेतन'' देय होगा। इस प्रकार आगणित वेतन यदि दिनांक 1–01–2006 या इसके पश्चात नवनियुक्त कार्मिकों के वेतन से कम निर्धारित होता है तब भी कर्मचारी का वेतन तालिका में उपलब्ध बैण्ड वेतन के बराबर नही किया जायेगा।

(ख) जहाँ पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो, वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी यदि वेतनबैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतनबैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायगा।

(एक) यदि संबंधित सरकारी सेवक पदोन्नति पर निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो पदोन्नति की तिथि को वेतनबैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा और अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, 'एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी'– पदोन्नति के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन–वृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति की तिथि के पूर्व का मूल वेतन लिया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, यदि पदोन्नति के पूर्व तिथि को मूल वेतन रु0 100 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि रु0 100 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु0 110 पर की जायेगी।

(दो) यदि सरकारी सेवक पदोन्नति की तिथि से वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो उस सरकारी सेवक का वेतन शासनादेश संख्या– वे0आ0–1318/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–11 में निहित प्रक्रियानुसार निर्धारित किया जायेगा किन्तु उल्लेखनीय है कि यदि सरकारी सेवक की पदोन्नति दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक हुयी है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी।

उदाहरण– किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 01 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक हुयी है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी और यदि पदोन्नति किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक हुयी है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी।

उदाहरण– किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जनवरी, 2007 से 30 जून, 2007 तक हुयी है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2008 को देय होगी।

(3) ऐसे पद पर नियुक्ति/पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण न हों।

अधिसूचना संख्या–जी–2–16/दस–98–303/96, दिनांक 02–07–1998 द्वारा दिनांक 16–09–1989 से यथा संशोधित मूल नियम–22 (क)(दो) के अनुसार–

(क) नये पद के वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पुरानें पद के सम्बन्ध में उसे देय वेतन के बराबर निर्धारित किया जायगा और यदि ऐसा कोई (समान) प्रक्रम न हो तो नियमित रूप से धारित पुराने पद के सम्बन्ध में उसे देय वेतन के अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायगा, प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नये पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पद के सम्बन्ध में, उसके वेतन से अधिक हो, तो नये पद के प्रारम्भिक वेतन के रूप में, न्यूनतम वेतन निर्धारित होगा,

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहाँ नये पद पर वेतन उसी प्रक्रम पर अर्थात् पूर्व पद के

वेतन के बराबर निर्धारित होता है, तो वह वही वेतन, उस समय तक आहरित करता रहेगा, जब तक कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय अर्थात सामान्यतया वेतन–वृद्धि की देयता यथावत रहेगी किन्तु ऐसे मामलों में जहाँ वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है, अगली वेतन–वृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर, जब उसे नये पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा।

(ख) निःसम्वर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन–निर्धारण के लिए अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली वेतनवृद्धि की तिथि से निर्धारित करा ले।

(4) समान वेतनक्रम के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति पर वेतन निर्धारण

यदि नियुक्ति/पदोन्नति, ऐसे पद पर की जाती है, जिसका वेतनमान वही है, जो कि सावधिक (Tenure) पद से भिन्न उस पद का है, जिसको सरकारी सेवक अपनी पदोन्नति/नियुक्ति के समय नियमित आधार या समान वेतनमान पर धारण करता है, तो यह नहीं समझा जायगा कि ऐसी नियुक्ति/पदोन्नति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निहित है। ऐसी दशा में सेवक का वेतन प्रश्नगत नियुक्ति के पद पर उसी स्तर पर निर्धारित किया जायगा, जो वेतन वह समान वेतनमान वाले पूर्व पद पर प्राप्त कर रहा था किन्तु पूर्व पद पर समान वेतन–स्तर पर की गयी सेवा की गणना वेतनवृद्धि के प्रयोजन से की जायगी।

(शासनादेश संख्या–जी–2–604/दस–97–312–97, दिनांक 22–07–1997 सपठित शासनादेश संख्या–जी–1 –263/दस–143–1965, दिनांक 28–02–1966 के प्रस्तर–4 का उप प्रस्तर–4)

(5) किसी निम्न वेतनमान के पद पर सरकारी सेवक की लिखित प्रार्थना पर मूल नियम 15(क) के अन्तर्गत नियुक्ति किये जाने पर वेतन–निर्धारण

यदि निम्न वेतनमान के पद, जिस पर उसकी नियुक्ति मूल नियम–15(क) के अधीन उसके अनुरोध पर की गयी है, के वेतनमान का अधिकतम उसके पूर्व पद के मौलिक वेतन से कम हो तो वह मूल नियम–22(क) (तीन) के अनुसार प्रारम्भिक वेतन के रूप में उस अधिकतम वेतन को ही आहरित करेगा।

(6) जब कोई सरकारी सेवक जिसका किसी पद पर लियन (धारणाधिकार) नहीं है, किसी ऐसे पद पर स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से नियुक्त होता है, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद से कम अथवा बराबर हैं तथा जिसका मामला मूल नियम 22, 22–बी अथवा 26(सी) के अन्तर्गत नहीं आता है, का वेतन–निर्धारण

मूल नियम 22–सी ऐसे मामलों में उसका प्रारम्भिक वेतन पूर्व पद पर की गयी प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतन–वृद्धि देते हुये निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार की वेतन –वृद्धि नये पद के न्यूनतम स्तर पर देय होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार से निर्धारित वेतन निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :–

(क) पिछले पद पर लिया गया वेतन

और

(ख) नये पद के वेतनमान का अधिकतम

यदि नया पद समान वेतन के समयमान वाला हो, तो पूर्व पद पर जो अन्तिम वेतन था, वही मिलेगा और उस वेतन स्तर पर की गयी सेवा को नये पद पर

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

वेतनवृद्धि की गणना में सम्मिलित किया जायेगा। जैसे कि–

उदाहरण– ''एक सरकारी सेवक ने किसी पद के वेतनमान में दिनांक 01–03–2001 से दिनांक 31–05–2005 तक अर्थात पूर्ण 4 वर्ष से अधिक अवधि में अस्थायी रूप से कार्य किया और दिनांक 01–06–2005 से छँटनी के कारण उसकी सेवायें समाप्त हो गईं। तत्पश्चात उ0प्र0 सरकार के अधीन किसी भी विभाग में समान अथवा निम्न वेतनमान के पद पर दिनांक 01–10–2005 से नियुक्ति होती है, तो पूर्व पद पर की गयी प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर एक वेतनवृद्धि के आधार पर उसको चार अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देते हुय किन्तु उपर्युक्त प्रतिबन्धों के अधीन देकर दिनांक 01–10–2005 से प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया जायेगा।

नोट :– यदि पूर्व पद निःसम्वर्गीय था, तो उस पर की गई सेवा के सम्बन्ध में ऐसे वेतन–निर्धारण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(7) केन्द्रीय सरकारी सेवक की उ0प्र0 शासन के अधीन नियुक्ति होने पर वेतन–निर्धारण

शासनादेश संख्या– जी–2–673/दस–81/234–71, दिनांक 02–07–1981 के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों की राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति होने की दशा में उनका वेतन, जो भारत सरकार के अन्तर्गत ''स्थायी'' हैं तथा जिनका ''लियन'' भारत सरकार के अधीन तब तक सुरक्षित रहेगा, जब तक कि उन्हें राज्य सरकार की सेवा में ''स्थायी रूप'' से संविलीन नहीं कर लिया जाता, सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जायगा। सामान्य नियमों से आशय मूल नियम–22–बी, 22–सी तथा मूल नियम–31 के साथ पठित मूल नियम–22 से है और इसके विपरीत भारत सरकार के ''अस्थायी'' कर्मचारियों को राज्य शासन के अन्तर्गत उनके पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही प्राप्त होगा।

(8) सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियमित रूप से एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति होने पर वेतन संरक्षण/निर्धारण हेतु दिनांक 24–09–2015 से प्रभावी विशेष व्यवस्था–

शासनादेश संख्या–4/2015/जी–2–25/दस–2015–301/98टी0सी0–1, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 द्वारा वेतन संरक्षण के निमित्त शासनादेश संख्या–जी–2–359/दस–1998, दिनांक 12 जून, 1998 में की गयी व्यवस्था निम्नवत् कर दी गई हैः–

शासनादेश दिनांक 12–06–1998 द्वारा प्रदत्त वेतन संरक्षण की सुविधा का लाभ ऐसी स्थिति में देय नहीं है जब कि सम्बन्धित सरकारी सेवक का चयन खुली प्रतियोगिता के आधार पर हुआ हो। बल्कि उक्त सुविधा का लाभ शासन द्वारा तभी अनुमन्य कराया जाना है जब इस प्रकार के वेतन–निर्धारण अथवा वेतन–संरक्षण की व्यवस्था को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्व विद्यालय में कार्यरत कर्मियों की विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए किसी विशिष्ट पद पर उनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाय एवं लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को प्रेषित अपने संस्तुति पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया हो कि संम्बन्धित कर्मी का वेतन शासनादेश दिनांक 12–06–1998 के अन्तर्गत संरक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार नियुक्त सरकारी सेवकों को वेतन संरक्षण का लाभ तभी देय है जब वे अपने पूर्व पद पर स्थायी हों। ऐसे प्रकरणों में वेतन संरक्षण के आदेश प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। जिन प्रकरणों में वेतन संरक्षण का लाभ वित्त विभाग की सहमति से पूर्व में अनुमन्य कराया जा चुका है उन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा।

(9) अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा के पश्चात व्यवधान हो जाने पर (जो त्यागपत्र/रिमूवल/डिसमिसल के कारण न हो) पुनः उसी पद पर अथवा तत्समान वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति होने पर वेतन–निर्धारण

मूल नियम 22(ए) प्रोविजों I(i) से (iii), मूल नियम 31 के नीचे सम्प्रेक्षा अनुदेश का पैरा 5 व उसी के नीचे राज्यपाल महोदय के आदेश पैरा–2 एवं मूल नियम– 26(ए)
उदाहरण–

जिस स्तर पर पहले मूल वेतन आहरित कर रहा था पुनः नियुक्त होने पर, उसी स्तर पर वेतन निर्धारित होगा तथा उस स्तर पर की गयी पूर्व सेवा वेतन वृद्धि हेतु गणना में सम्मिलित की जायेगी। जैसे कि–
"क" सरकारी सेवक किसी पद के वेतनमान में किसी अवधि में (जैसे दिनांक 01–04–2002 से दिनांक 30–09–2004 तक) कार्य किया। तत्पश्चात् कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण सेवा में व्यवधान रहा किन्तु पुनः उसी वेतनमान में नियुक्त हुआ। ऐसी स्थिति में पुनः योगदान तिथि (जैसे दिनांक 01–12–2004) से उसी दर से मूल वेतन पायेगा, जो पूर्व में अंतिम मूल वेतन था, तथा उसी वेतन दर पर की सेवावधि की गणना वेतनवृद्धि हेतु करते हुये वार्षिक वेतनवृद्धि देय हो जायेगी।

(10) पूर्वगामी तिथि से (काल्पनिक/सैद्धान्तिक/नोशनल/प्रोफार्मा) पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण

(क) सामान्यतया जहाँ पद–रिक्ति की तिथि से पदोन्नति किये जाने की कोई विधिक बाध्यता नहीं है, वहीं यदि किसी विशेष स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकारी के समुचित आदेश द्वारा किसी प्रकरण विशेष में पूर्वगामी तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया जाय, तो ऐसी नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप चाहे वेतन– अवशेष दिया जाना हो अथवा नहीं, प्रोन्नति के पद से सम्बद्ध वेतन की अनुमन्यता हेतु वेतन के निर्धारण के लिये कार्मिक अनुभाग–1 से निर्गत शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997, दिनांक 28–05– 1997 के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–(8) एवं (9) सपठित **"टिप्पणी"** में निहित प्रावधान निम्नवत् हैं–

(1) यदि किसी कार्मिक को नोशनल प्रोन्नति दी जाती है, तो उसका वेतन मूल नियम–27 के अन्तर्गत **वित्त विभाग की सहमति से** उसी स्तर पर निर्धारित किया जायेगा जो उससे सम्बन्धित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर समय से अर्थात आसन्न कनिष्ठ के प्रोन्नति होने की तिथि से होने पर मिलता। *(उक्त शासनादेश दिनांक 28–05–1997 के प्रस्तर–1 का उप प्रस्तर–8)*

(2) नोशनल प्रोन्नति व वास्तविक प्रोन्नति की तिथियों के मध्य की अवधि के लिये, उक्त नोषनल प्रोन्नति के परिणामस्वरूप अनुमन्य एरियर का भुगतान किये जाने या न किये जाने तथा भुगतान की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित रूप से विचार करके निर्णय लिया जायेगा। जिन मामलों में वेतन के ऐसे एरियर के सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय हो, तो ऐसा निर्णय लिये जाने के कारणों को इस विषय में पारित आदेशों में लिपिबद्ध किया जायेगा।

टिप्पणी– उन दशाओं का पूर्व अनुमान लगाया जाना तथा उन्हें विस्तृत रूप से निरूपित करना सम्भव नहीं है, जिसके अन्तर्गत वेतन अथवा उसके किसी अंश के एरियर के भुगतान से इनकार किया जाना आवश्यक हो। ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जहाँ कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक स्वरूप की ही हो, सम्बन्धित कार्मिक के कारण देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण हो या साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो, जिन्हें कर्मचारी के कृत्य माना गया हो। ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। (उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 का उप प्रस्तर–9 सपठित ''टिप्पणी'')

(ख) उल्लेखनीय है कि नोशनल पदोन्नति से सम्बन्धित वेतन–निर्धारण के आदेश में सामान्यतया वेतन–निर्धारण का उल्लेख उसी तिथि से किया जाना उचित है, जबसे तदनुसार वास्तविक भुगतान किया जाना है, किन्तु

इस आशय से निर्धारित होने वाले वेतन का आगणन यथा इंगित नोशनल पदोन्नति की पूर्वगामी तिथि से ही किया जाना चाहिये। ऐसे वेतन–निर्धारण आदेश में भी वास्तविक भुगतान की तिथि सुस्पष्ट होनी चाहिये, ताकि यदि "एरियर" देय नहीं है, तो उसके भुगतान में **चूक** की संभावना न रहे।

(11) फालतू/छँटनी शुदा सेवकों की नियुक्ति पर वेतन–निर्धारण

(क) शासन द्वारा व्यय में कमी करने के उद्देष्य से समय–समय पर यथेष्ट संख्या में ''फालतू'' कर्मचारियों को अन्य पदों पर खपाये जाने के उपरान्त वही वेतन दिये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जो ''फालतू'' घोषित होने के पूर्व प्राप्त था। *(सामान्य प्रषासन ''पुनर्गठन'' विभाग की राजाज्ञा–सं0–88(1)66, दिनांक 02– 03–1967)*

(ख) फालतू कर्मचारियों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग, जिसे ''छँटनीशुदा'' कर्मचारी कहते हैं, के लिये भी फालतू कर्मचारियों की भाँति निम्नलिखित रीति से वेतन–निर्धारित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या– जी–2–777/दस–142–65, दिनांक 10–12–1973 सपठित शासनादेश संख्या–जी.–2–1762/दस–142 –65, दिनांक 30–08–1975 द्वारा प्रदान की गयी है :–

(1) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के प्रस्तर–2 के अनुसार– ''फालतू कर्मचारियों'' तथा ''छंटनी शुदा कर्मचारियों'' में अन्तर केवल इतना है कि फालतू कर्मचारियों को राज्य सेवा से तब तक निकाला नहीं जाता, जब तक कि उन्हें दूसरा पद उपलब्ध नहीं करा दिया जाता अथवा इस प्रकार दूसरा पद उपलब्ध कराये जाने पर वे उस पर चले नहीं जाते, जबकि छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिये ऐसी कोई सुविधा नहीं है और ज्यों ही उनकी आवश्यकता नहीं होती है, त्यों ही उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं।

(2) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के प्रस्तर–5 के अनुसार छंटनी किये गये कर्मचारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो राज्यपाल के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन किसी सेवा में या किसी पद पर मौलिक, स्थानापन्न या अस्थायी किसी भी रूप में सेवायोजित किया गया हो, और जिसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा की हो, और जिसकी सेवाएँ, अधिष्ठान में कमी किये जाने के कारण समाप्त कर दी जाँय अथवा जिन्हें समाप्त करने के योग्य प्रमाणित किया जाय, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति उसे कहा जायेगा, जिसकी नियुक्ति संबंधित सेवा अथवा पद के लिए प्रयोज्य नियमों अथवा आदशों में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत न की गयी हो। राज्यपाल तदर्थ, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकते हैं कि किस रीति से और किस प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के प्रस्तर–3 के अनुसार–

(एक) यदि उनका पूर्व वेतन, उस वेतनक्रम के, जिसमें उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, न्यूनतम वेतन से कम था, तो उनका वेतन, वेतनक्रम के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जाय।

(दो) यदि उनका पूर्व वेतन, उस वेतनक्रम के जिसमें उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, के न्यूनतम से अधिक था, तो उनका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग 2 के मूल नियम–27 के अन्तर्गत उसी स्तर पर और यदि वह स्तर न आता हो, तो ठीक निम्न स्तर पर निर्धारित कर दिया जाय और इस प्रकार निर्धारित किये गये और पूर्व में प्राप्त किये गये वेतन में जो अन्तर आये, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 के मूल नियम–19 के साथ पठित मूल नियम–9(23)(बी) के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाय, जो कि उनकी अगली वेतनवृद्धि में विलीन कर दिया जाय। मूल नियम–27 के अन्तर्गत उन्हें अगली वेतनवृद्धि उसी तिथि से देय होगी, जो छँटनी से पूर्व अवसर पर प्राप्त वेतन स्तर पर की गयी सेवा की गणना करके आती हो।

(तीन) यदि छँटनी से पूर्व कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन, उस पद, जिस पर उसे पुनर्नियुक्ति किया गया है, के अधिकतम वेतन से अधिक है, तो उस दशा में भी वेतन के अन्तर को मूल नियम–19 के साथ

पठित मूल नियम–9 (23) (बी) के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायगा, जो कि भविष्य में उसकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप बढ़ने वाले वेतन अथवा अन्य किसी भी कारण से बढ़ने वाले वेतन में विलीन कर दिया जायगा।

(चार) कर्मचारी का वेतन प्रत्येक दशा में अर्थात चाहे वह उच्च पद या निम्न पद अथवा समकक्ष पद पर पुनर्नियुक्ति किया गया हो, उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया जायगा।

(4) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के ही प्रस्तर–4 के अनुसार छंटनीशुदा कर्मचारियों के सन्दर्भ में वेतन–निर्धारण करने का अधिकार यथानिर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्षों को प्रतिनिहित किया गया है किन्तु जो मामले उक्त शासनादेश से अच्छादित न हों, वे शासन के सम्बन्धित विभाग के निर्णयार्थ भेजे जाँय।

(5) उक्त शासनादेष दिनांक 10–12–1973 के ही प्रस्तर–6 के अनुसार छंटनीशुदा कर्मचारियों के सन्दर्भ में वेतन–निर्धारण की सुविधा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगी :–

(क) यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी, जब कि पुराने पद से हटने तथा नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में 5 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत न हुई हो।

(ख) यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं दी जायेगी, जो डिसमिसल, रिमूवल अथवा त्यागपत्र देने के पश्चात् सेवा में पुनर्नियुक्त किये गये हों।

(ग) यह सुविधा उन कर्मचारियों को भी उपलब्ध न होगी, जिन्हें नोटिस देकर निकाला गया हो। उदाहरणार्थ– जिन्हें मूल नियम–56 या सी.एस.आर के अनुच्छेद–436 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया हो, इत्यादि।

(6) शासनादेश संख्या– जी.–2–1762 / दस–142–65, दिनांक 30–08–1975 में निहित प्रतिबन्धों के अनुसार छंटनीशुदा कर्मचारियों को, इस प्रसंग मे निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के पूर्व की अवधि अर्थात दिनांक 09–12–1973 तक की अवधि का यथास्थिति कोई अवषेष वेतन आदि देय नहीं होगा।

(12)समयमान वेतनमान की व्यवस्था, जो दिनांक 30–11–2008 तक लागू रही है, के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्वीकृति–आदेश के क्रम में वेतन–निर्धारण

(क) समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य सेवा–लाभ के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक द्वारा धारित ''पद की प्रास्थिति'' में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(ख) वस्तुतः तत्समय धारित पद पर ही रहते हुये यथासमय प्रभावी रहे सुसंगत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी / नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से निर्गत आदेषों द्वारा सेलेक्शन ग्रेड / समयमान वेतनमान के लाभ के अन्तर्गत ''अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक रूप में अनुमन्य समयमान वेतनमान / अगले वेतनमान / प्रोन्नति वेतनमान (यथास्थिति) में अगले उच्च प्रक्रम पर (मूल नियम–22(a)(i) में निहित प्रक्रियानुसार) वेतन निर्धारित किये जाने की सामान्य व्यवस्था तत्कालीन शासनादेशों में रही है।

(ग) समयमान वेतनमान के प्रसंग में वेतन–निर्धारण के लिये ''विकल्प'' चुनने की व्यवस्था नहीं रही है, बल्कि किसी समय–बिन्दु (अगली वेतनवृद्धि तिथि) पर अनुमन्य वेतन कम अथवा बराबर हो जाने की दशा–विशेष में वेतन के पुनः निर्धारित किये जाने की व्यवस्था अवश्य रही है।

(घ) दिनांक 01–01–1996 से लागू वेतन पुनरीक्षण में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के प्रसंग में शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–560 / दस–45(एम) / 99, दिनांक 02–12–2002 एवं उसके क्रम में जारी विभिन्न शासनादेश तथा स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–257 / दस–2004–45(एम)–99, दिनांक 20–08– 2004 अवलोकनीय हैं।

(ड़) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था दिनांक 30–11–2008 तक शासनादेश संख्या–

वे0आ0—2—773/दस—62(एम)/2008, दिनांक 05—11—2014 प्रस्तर—1(2) के अनुसार यथावत् लागू रखी गयी है और प्रस्तर—3 में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था है :—

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन + ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को **अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।**

(2)(i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी,

परन्तु, प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथास्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाय, तो यथास्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड रू0 15,600—39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5,400 तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर भी उक्त शासनादेश दिनांक 05—11—2014 के पूर्व उपप्रस्तर 3(ii) में निर्धारित (उपर्युक्त) व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है, तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा,

परन्तु, उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत् अनुमन्य रहेगा।

(13) समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के पश्चात वास्तविक रूप में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण—

(क) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त उसी वेतनमान के पद पर पदोन्नति की दशा में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था पूर्व के शासनादेश स्पष्टीकरण में उपलब्ध रही है। इस प्रसंग में उपर्युक्त शासनसादेश दिनांक 02–12–2000 के सुसंगत प्रस्तर–2(9) के अनुसार वेतन–निर्धारण हेतु मूल नियम 22–बी के प्रावधान, लागू नहीं होंगे, बल्कि मूल नियम–22 (ए)(i) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर वेतन–निर्धारण किये जाने के निर्देश रहे हैं। बाद में यदि किसी समय–बिन्दु पर पदोन्नति पद पर अनुमन्य वेतन, उस वेतन के बराबर अथवा कम हो जाय, जो उसे पदोन्नति न होने पर मिलता, तो ऐसी विशेष दशा में ही उस समय बिन्दु पर वेतन के अगले स्तर पर पुनर्निर्धारण की व्यवस्था पूर्व के शासनादेश सं0– वे0आ0–1–219/दस–99(एम)/89, दिनांक 23–08–1994 के प्रस्तर–4 के अनुसार अग्रेतर शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1375/दस–2002–45 (एम)/99 टी0सी0, दिनांक 28–08–2002 द्वारा की गयी है।

(ख) समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–257/ दस–2004–45(एम)/99, दिनांक 20–08–2004 के संलग्नक में संदर्भ बिन्दु–4 पर सुस्पष्ट किया कि यदि द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति वैयक्तिक रूप से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान से निम्न वेतनमान वाले पद (प्रथम पदोन्नति के पद) पर होती है, तो प्रोन्नति के पद पर वह पूर्व से अनुमन्य अपने द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वैयक्तिक वेतनमान में ही बना रहेगा, क्योंकि उक्त दशा में उसका वेतन–निर्धारण नहीं किया जायेगा और उसे वही उच्चतर वेतन/वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य रहेगा, जो वह अपनी प्रोन्नति के पहले से प्राप्त कर रहा था।

(ग) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना के प्रसंग में भी ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–773/दस–62(एम)/2008, दिनांक 05–11–2014 में दिनांक 30–11–2008 तक पुनरीक्षित वेतन–संरचना में पूर्ववत प्रभावी की गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तर–3 के उप प्रस्तर (4) के अनुसार समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/से0ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति वैयक्तिक रूप से अनुमन्य उसी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में वेतन का निर्धारण 03 प्रतिषत की दर से एक वेतन–वृद्धि देते हुये किया जायगा और अगली सामान्य वेतन–वृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(14) दिनांक 01–01–2006 से पूर्व लागू (अपुनरीक्षित) वेतन–संरचना में वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की अनुमन्यता पर वेतन–निर्धारण

शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–560/दस–45(एम)/99, दिनांक 02–12–2000 (प्रस्तर–3) और उसके आंशिक संशोधन में निर्गत शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1255/दस–2005–45(एम) टी0सी0, दिनांक 20–01 –2006 के परिप्रेक्ष्य में–

(1) ऐसे पदधारक, जिनके पद के साधारण वेतनमान का अधिकतम रू0 13,500 से कम रहा है को अपने पद के वेतनमान के अधिकतम पहुँच जाने पर उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर तीन वेतनवृद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिये जाने की व्यवस्था रही है। ये वेतनवृद्धियाँ सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात वार्षिक आधार पर देय रही हैं। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य रही हैं, जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने तक से0ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो, किन्तु पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर से0ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं रही है।

(2) ऐसे पदधारक, जिनके पद के साधारण वेतनमान का अधिकतम रू0 13,500 या उससे अधिक रहा है, को पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि और उस प्रकार अधिकतम 3 वेतनवृद्धियाँ दिये जाने की व्यवस्था रही है।
(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में ही अनुमन्य रहा है अर्थात यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले उच्च वेतनमान तथा से0 ग्रेड में अनुमन्य नहीं रहा है।
(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना गया है तथा मूल नियम के अन्तर्गत वेतन–निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना गया है।

(15) प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानान्तरण पर वेतन–निर्धारण–

(क) मूल नियम–50 के अनुसार शासन की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए नहीं भेजा जा सकेगा।
(ख) जब कोई सरकारी कर्मचारी समुचित स्वीकृति से भारत के अपने पद के कर्तव्यों के सम्बन्ध में या ऐसे विशेष कर्तव्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें उसे अस्थायी रूप से दिया जाय, भारत से बाहर अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो उसका वेतन **मूल नियम–51** के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
(ग) **मूल नियम–51–क** के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी उचित स्वीकृति से भारत के बाहर ड्यूटी पर नियमित रूप से सृजित किये गये अपनी सेवा के संवर्ग के बाहर किसी अन्य स्थायी (Permanent) या (Quasi-Permanent) अर्द्धस्थायी पद को ग्रहण करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन शासन के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायगा।
(घ) वाह्य सेवा (Foreign Service) में वेतन के सम्बन्ध में ''मूल नियम–114 एवं तत्सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेश'' में निहित प्रावधान और वाह्य सेवा से सरकारी सेवा में नियुक्ति पर वेतन–निर्धारण के सम्बन्ध में ''मूल नियम–124 एवं तत्सम्बन्धित लेखा–परीक्षा अनुदेश'' में निहित प्रावधान अनुपालनीय हैं।
(ड.) शासनादेश संख्या– जी–1–374/दस–99–204/99, दिनांक 03–06–1999 के अनुसार पैतृक विभाग में समय–समय पर प्राप्त वेतनमान में मूल वेतन एवं मूल वेतन का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू0 500 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता, यदि वाह्य सेवा उसी स्टेशन पर होती है जहाँ पूर्व में तैनाती थी और यदि वाह्य सेवा में तैनाती स्टेशन से बाहर होती है, तो मूल वेतन एवं मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू01,000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य रहा है कि तत्कालीन वेतन संरचना में मूल वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग रू0 22,000 से अधिक नहीं होगा।
(च) वेतन समिति (2008) द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ते के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त शासनादेश दिनांक 03–06–1999 के संषोधन में निर्गत शासनादेष संख्या– जी–1– 142/दस–2011–204/1999, दिनांक 16–05–2011 द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर दिनांक 01–05–2011 से प्रभावी करते हुये निम्नवत् स्वीकृत की गयी है :–
(1) सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालयों आदि में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर स्थान्तरित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को यदि वह उसी स्टेशन पर रहता है जहाँ उसकी तैनाती थी, तो वेतन का 5 प्रतिषत अधिकतम रू0 1,500 प्रतिमाह तथा स्टेषन के बाहर वाह्य सेवा पर तैनाती होने की स्थिति में मूल वेतन का 10 प्रतिषत अधिकतम रू0 3,000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ते की अनुमन्यता होगी।
(2) दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है।
(3) स्वेच्छा से वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि केवल जनहित में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में देय होगा।

(छ) समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण शासन के आदेष संख्या– वे0आ0–2–257/दस–2004–45(एम)/99, दिनांक 20–08–2004 के संलग्नक में बिन्दु संख्या–8 के संदर्भ में उल्लिखित स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ का आदेश पदधारक के **पैतृक विभाग में नियुक्ति प्राधिकारी** द्वारा ही जारी किया जायगा।

(ज) ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04–05–2010 के प्रस्तर–1 (10) के अनुसार प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतनबैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(16)पुनरीक्षित वेतन संरचना में नॉन फंक्षनल वेतनमान का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण

(क) वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 द्वारा की गयी है। किन्तु उक्त शासनादेष में उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी–1 के पदधारकों को नॉन फंक्षनल वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 8,000–13,500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

(ख) कालान्तर में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को नॉन फंक्षनल वेतनमान की अनुमन्यता की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/3/2009–CS.I(S), दिनांक 19 नवम्बर, 2009 द्वारा वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गयी है जो पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण हेतु अपनायी जाती है।

(ग) अतएव इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–678/दस–59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 25–06–2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी–1 के पदधारकों को नॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 8,000–13,500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जैसी कि पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–11 में वर्णित है। उदाहरणस्वरूप– नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य होने की स्थिति में अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 के पद पर प्राप्त मूल वेतन के 03 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि और उक्त धारित पद के ग्रेड वेतन रू0 4,800 एवं नॉन फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5,400 के अन्तर की धनराशि रू0 600 को जोड़कर उनका वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(17) समय–समय पर पुनरीक्षित/संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन–निर्धारण

(1) इस सम्बन्ध में प्रायः सामान्य नियम लागू न होने की दशा में यथासमय निर्गत शासनादेशों में अथवा उसके प्रसंग में निर्गत शासनादेशों में ही वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख विद्यमान रहता है, जिसका सम्यक् अनुपालन किया जाना चाहिये।

(2) वर्तमान में शासनादेश संख्या वे0आ0–2–843/दस–2009–59(एम)/2008, दिनांक 24–12–2009 द्वारा ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत् की गयी है :–

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

(एक)–किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है तो उच्चीकरण की तिथि को वेतन बैन्ड में उसका वेतन (बैन्ड वेतन) अपरिवर्तित रहेगा और उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। तदोपरान्त 06 माह अथवा उसके उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को उसे अगली सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी ।

(दो)–यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा पद के उच्चीकृत/संषोधित वेतन बैन्ड एवं ग्रेड वेतन में उच्चीकरण की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली अपनी सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन–निर्धारण का विकल्प दिया जाता है तो उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतनबैन्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन–निर्धारण का कोई लाभ देय नहीं होगा अर्थात उसका वेतन बैन्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन यथावत् रहेगा ओर अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को संबंधित कार्मिक को देय सामान्य वेतनवृद्धि, जो उसे पूर्व से मिल रहे वेतन बैन्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर आगणित होगी, अनुमन्य कराते हुए उच्च ग्रेड वेतन देय होगा।

(तीन)–उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1318/दस–2009–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक–2 में दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना की तालिका (ब) में संबंधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के सम्मुख उल्लिखित कुल धनराशि से कम वेतन निर्धारित होने पर उसे उपर्युक्त तालिका (ब) के अनुसार आगणित कुल धनराशि के बराबर मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(18) संवर्गीय पुनगर्ठन (कैडर रिव्यू) होने की दशा में वेतन–निर्धारण

प्रायः संवर्गीय पुनगर्ठन (कैडर–रिव्यू) तत्कालिक प्रभाव से अथवा किसी इंगित तिथि से शासन द्वारा लागू किया जाता है और इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग से निर्गत शासनादेश में ही पुनगर्ठन के परिणाम स्वरूप उच्चीकृत/स्वीकृत पदों पर किसी स्थिति विशेष में समायोजन अथवा पदोन्नति आदि की प्रक्रिया के प्रसंग में यथास्थिति वेतन–निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सुसंगत नियमों का उल्लेख रहता है, जिसका अनुपालन अपेक्षित होता है।

(19) प्रत्यावर्तित होने पर वेतन निर्धारण

(क) मूल नियम–22B(2)(iii): किसी सरकारी सेवक का उसके पुराने निम्न पद पर या वेतन के उसी समयमान में किसी अन्य पद पर प्रत्यावर्तित होने पर ऐसा वेतन होगा, जिसे सेवक का वेतन मूल नियम–27 के अधीन पहले ही निर्धारित कर दिया गया हो तो प्रत्यावर्तित होने पर उसका वेतन मूल नियम 26 (सी) के अनुसार उसे उसके उच्चतर पद पर की गई सेवा का लाभ भी देते हुए, मूल नियम 27 के अधीन पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(ख) मूल नियम–22B(2)(iv): यदि कोई सरकारी सेवक किसी उच्चतर पद से ऐसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तित किया जाय जिसके वेतन का समयमान उस पद के वेतन के समयमान से अधिक हो जिस पर उसे अपना वेतन उच्च पद पर नियुक्त किए जाने के पूर्व आहरित किया, तो उस स्थिति में, ऐसे मध्यवर्ती पद पर उसे अनुमन्य वेतन इस नियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(ग) मूल नियम–28– कोई प्राधिकारी जो कि सरकारी कर्मचारी को दंड के रूप में किसी उच्च पद से निम्न श्रेणी या पद पर स्थानान्तरित करता है उसे निम्न पद के उच्चतम वेतन से अनधिक कोई भी वेतन, जिसे वह उचित समझे, दे सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के जो वेतन पाने की अनुमति दी जाय वह उस वेतन से अधिक न होने पाये जो उसे नियम 26 के खण्ड–(ख) या (ग) (जो भी लागू हो) के साथ पठित नियम–22 के लागू होने से मिलेगा।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

नियम–28 से सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेशानुसार इन नियमों के अनुशासनात्मक कारणों से उसी वेतन–क्रम में वेतन को उच्च स्तर से निम्न स्तर पर घटा देने में कोई रूकावट नहीं है।

(घ) मूल नियम–29

(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने ही वेतनक्रम में दण्ड के रूप में किसी निम्न स्तर पर उतार दिया जाय हो इस कमी के आदेष देने वाला प्राधिकारी उस अवधि को बता देगा जब तक यह आदेश प्रभावी होगा और यह भी कि क्या प्रत्यावर्तन पर उसका प्रभाव यह होगा कि भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियाँ स्थगित हो जायेगा, और यदि ऐसा है, तो किस सीमा तक?

(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी दण्ड के रूप में किसी निम्न श्रेणी या पद पर उतार दिया जाता है तो नीचे उतारने के आदेष देने वाला प्राधिकारी इस अवधि को चाहे बतावे या न बतावे जिसमें यह आदेष प्रभावी रहेगा, लेकिन यदि अवधि बता दी गई हो तो उस प्राधिकारी को यह भी बताना होगा कि क्या प्रत्यावर्तन पर इसका प्रभाव यह होगा कि भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियाँ स्थगित हो जायेंगी और यदि ऐसा हो, तो किस सीमा तक?

नोट– नियम–29 से सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेश भी अवलोकनीय हैं।

(20) सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारण

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सिविल सरकारी सेवकों के पुनर्योजन एवं उक्त अवधि में वेतन निर्धारण के लिए प्राविधान सिविल सर्विस रेगुलेषन्स (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद 520 तथा सुसंगत शासनादेश संख्या–सा–3–1443 / दस–930 / 83, दिनांक 15.12.1983, सा–3–2211 / दस–930 / 83, दिनांक 25.11.1988 एवं सा–3–1527 / दस–930 / 83, दिनांक 11.07.1989 में निहित हैं, जिनके अनुसार–

(क) सामान्यतया पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को वह नियत वेतन अनुमन्य होने की पूर्व में व्यवस्था रही है, जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों (बिना राशिकरण के शुद्ध पेंशन एवं ग्रेच्युटी के पेंशनरी समतुल्य धनराशि का योग) को सम्मिलित करते हुए अन्तिम आहरित वेतन अथवा पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। पुनर्योजित सरकारी सेवक की स्थिति एक अस्थायी सरकारी सेवक जैसी होने की दशा में सामान्यतया उपर्युक्तानुसार अनुमन्य किये गये वेतन एवं सकल पेंशन की धनराशि के योग पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते दिये जाने की व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15.12.1983 के अनुसार रही है।

(ख) बाद में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25.11.1988 सपठित उक्त शासनादेश दिनांक 11.07.1989 द्वारा पुनर्नियोजन की दशा में वेतन–निर्धारण के लिए अन्तिम आहरित वेतन में से केवल शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण) ही घटाने अर्थात् ग्रेच्युटी की पेंशनरी समतुल्य धनराशि अन्तिम आहरित वेतन में से कम न करने की संशोधित व्यवस्था दि0 01.06.1988 से लागू की गई है।

उदाहरण :– श्री ''क'' तत्कालीन वेतनमान रू0 18,400–500–22,400 के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिनका अन्तिम वेतन रू0 20,900 था और पेंशन (बिना राशिकरण) रू0 10,450 स्वीकृत हुई। यदि उनकी पुनर्नियुक्ति समान वेतनमान के पद पर की जाती है, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वेतन निम्नवत् निर्धारित होगा–

1.	अन्तिम आहरित वेतन	रू0 20,900
2.	शुद्ध पेंशन (–)	रू0 10,450
3.	निर्धारित होने वाला वेतन	रू0 10,450

नोट : यदि पुनर्नियुक्ति ऐसे पद पर की जाती है, जिसके वेतनमान का अधिकतम रू0 20,000 है, जो अन्तिम आहरित वेतन रू0 20,900 से कम है, तो ऐसी दशा में पुनर्नियोजित पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 20,000 (–) पेंशन रू0 10,450 = रू0 **9,550** ही वेतन निर्धारित होगा।

द्वितीय खण्ड (ब)

सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01—07—1982 से राज्यकर्मियों के लिए समयमान—वेतनमान देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। समयमान वेतनमान की व्यवस्था को हम तीन चरणों में बॉट सकते है—

समयमान वेतनमान के तृतीय चरण की व्यवस्था को ACP (Assured Career Progression) नाम से जाना जाता है।

शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—773/दस—62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 द्वारा दिनांक 01—12—2008 से ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की गई, जिसके अन्तर्गत 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम ए0सी0पी0, 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय ए0सी0पी0 दिये जाने का प्रावधान है। प्रश्न यह उठता है कि क्या 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर देय ए0सी0पी0 की व्यवस्था सभी कार्मिकों पर समान रूप से लागू है। उत्तर है— नहीं। इतना तो हम जानते है कि कोई भी व्यवस्था अक्षरशः (हू—बहू)तत्काल प्रभाव से या आने वाली तिथियों से ही लागू हो सकती है। 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर देय ए0सी0पी0 की व्यवस्था हू—बहू दिनांक 01—12—2008 या इसके पश्चात सेवा में आये हुए कार्मिकों पर ही लागू हो सकती है क्योंकि इन्हीं कार्मिकों की ठीक 10 वर्ष, ठीक 16 वर्ष एवं ठीक 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि आयेगी। चूँकि समयमान वेतनमान (दिनांक

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई—मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

01–12–2008 से ए0सी0पी0) की व्यवस्था का लाभ अनिवार्य रूप से उसी तिथि से देय होती है, जिस तिथि को शासनादेश में निर्धारित अवधि पूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ 10 वर्ष की नियमित, निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर देय होगी। इसे 01 (एक) दिन भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जो कार्मिक दिनांक 01–12–2008 को सेवा में आये होंगे, उन्हीं का ठीक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि आयेगी और यह लाभ दिनांक 01–12–2008 से 10 वर्ष अर्थात दिनांक 01–12–2018 से पूर्व किसी भी हालत में देय न होगा। इससे स्पष्ट है कि जो कार्मिक ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात अर्थात दिनांक 01–12–2008 या इसके बाद सेवा में आये हैं, उनमें से किसी को भी वर्तमान में ए0सी0पी0 का लाभ नहीं मिल रहा है।

जो कार्मिक दिनांक 01–12–2008 के पूर्व सेवा में आये हैं, उन्हें ही वर्तमान में ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। यह लाभ किस प्रकार से दिया जा रहा है, यहॉ यहीं प्रश्न विचारणीय है क्योंकि किसी–किसी कार्मिक की 10 वर्ष की सेवा दिनांक 01–12–2008 के पूर्व ही पूर्ण हो गई है। जैसे किसी कार्मिक की नियुक्ति 1980 में हुई है तो उसकी 10 वर्ष की सेवा 1990 में, 16 वर्ष की सेवा 1996 में और 26 वर्ष की सेवा 2006 में पूर्ण होने पर भी उसे हम ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उस समय 1990, 1996 एवं 2006 में ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू ही नहीं थी । तो प्रश्न यह उठता है कि किस आधार पर वर्तमान में दिनांक 01–12–2008 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा रहा है? इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट करना है कि वर्तमान में जिन भी कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ मिल रहा है वे सभी कार्मिक 01–12–2008 के पूर्व नियुक्त कार्मिक है। इन सभी कार्मिकों को सर्वप्रथम दिनांक 01–12–2008 को नई व्यवस्था में समायोजित किया जाता है। इस प्रकार ए0सी0पी0 अर्थात सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था का मुख्य आधार दिनांक 01–12–2008 की पदस्थिति है।दिनांक 1–12–2008 से पूर्व नियुक्त समस्त कार्मिकों की दिनांक 1–12–2008 को केवल दो पदस्थिति होगी।

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

अपने पद के साधारण वेतनमान में होंगे।   अपने पद के समयमान वेतनमान में होंगे।

प्रथम प्रकार के कार्मिकों के लिए दिनांक 1–12–08 को पद के साधारण वेतनमान में रहने की बात कही गई है। पद के साधारण वेतनमान से तात्पर्य यह है कि दिनांक 1–12–2008 को कार्मिक का जो पद है, वह उसी पद का वेतनमान प्राप्त कर रहा है। यह पद सीधी भर्ती/एक पदोन्नत प्राप्त या कई पदोन्नत प्राप्त वाला भी हो सकता है। यही पद (दिनांक 01–12–2008 का पद) ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देने का आधार होगा अर्थात इस पद पर 10 वर्ष की नियमित, निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पर प्रथम ए0सी0पी0, 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ देय होगा।
उदाहरण– वित्त एवं लेखा सेवा का कोई अधिकारी, सीधी भर्ती के पद पर 1985 में नियुक्त हुआ। 1993 में प्रथम पदोन्नति, 1999 में द्वितीय पदोन्नति, 2003 में तृतीय पदोन्नति एवं सन् 2007 में चतुर्थ पदोन्नति प्राप्त कर अपर निदेशक (ग्रेड वेतन रू0 8900) के पद पर कार्यरत है। दिनांक 01–12–2008 को इस अधिकारी की पद स्थिति अपर निदेशक की है और वह अपर निदेशक के पद का साधारण वेतनमान (गेड वेतन रू0 8900) प्राप्त कर रहा है। सर्वप्रथम अब इस पद (अपर निदेशक) को नई व्यवस्था में समायोजित किया जायेगा और इनका समायोजन इस रुप में होगा जैसे ये दिनांक 1–12–2008 को सीधी भर्ती के पद पर कार्यरत है अर्थात अपर निदेशक का पद केवल ए0सी0पी0 प्रयोजन हेतु सीधी भर्ती का पद माना जायेगा। और ए0सी0पी0 के तीनों लाभ अपर निदेशक के पद पर देय होगा अर्थात अपर निदेशक के पद पर 10 वर्ष की नियमित, निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ मिलेगा। द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी (यदि सेवा में है तो) इसी अपर निदेशक के पद के सापेक्ष देय होगी।

द्वितीय प्रकार के कार्मिकों के लिए दिनांक 01–12–2008 को समयमान वेतनमान में होने की बात कही गई है अर्थात इस श्रेणी के कार्मिक दिनांक 01–12–08 को समयमान वेतनमान की व्यवस्था का (8 वर्षीय/14वर्षीय/19 वर्षीय या 24 वर्षीय) कोई लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। जो कार्मिक दिनांक 01–12–2008 को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्षीय/19 वर्षीय लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर वेतन प्राप्त कर रहे थे, ऐसे कार्मिकों के लिए देय 8 वर्षीय/19 वर्षीय लाभ को शासन द्वारा इग्नोर कर दिया गया है। अर्थात ऐसे कार्मिक इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे इन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था का कोई लाभ अनुमन्य न हुआ हो। शासन द्वारा केवल 14 /24 वर्षीय लाभ को ही गणना में लिया गया है क्योंकि 14/24 वर्षीय लाभ प्राप्त होने पर निश्चित रूप से वेतनमान (1–1–2006 से ग्रेड वेतन) बदल जाता है–

(क) जो कार्मिक दिनांक 01–12–08 को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 14 वर्षीय प्रथम वैयक्तिक पदोन्नत/अगला वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें नई व्यवस्था (ए0सी0पी0)

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

में इस रूप में समायोजित किया गया है कि जैसे उन्हें प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ मिल रहा हो अर्थात 14 वर्षीय लाभ = प्रथम ए0सी0पी0। 14 वर्षीय लाभ स्वीकृत होने की तिथि से 02 वर्ष या दिनांक 01–12–2008 जो भी बाद में हो, द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होगी।

(ख) जो कार्मिक दिनांक 01–12–2008 को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 24 वर्षीय द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नत/अगला वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उन्हें नई व्यवस्था (ए0सी0पी0) में इस रूप में समायोजित किया गया है कि जैसे उन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ मिल रहा हो अर्थात 24 वर्षीय लाभ = द्वितीय ए0सी0पी0। 24 वर्षीय लाभ स्वीकृत होने की तिथि से` 2 वर्ष या दिनांक 01–12–2008 जो भी बाद में हो तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होगी।

<u>विशेष व्यवस्था</u>

कतिपय प्रकरणों में दिनांक 01–12–2008 के स्थान पर सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि को भी आधार माना गया है (इस प्रकार के प्रकरणों की संख्या लगभग 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)। इस प्रकार में वे प्रकरण होगें जो 16 वर्ष या 26 वर्ष की नियमित,निरन्तर एवं संतोषजक सेवा पूर्ण करने के बावजूद सीधी भर्ती के पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से 2 अगला या 3 अगला ग्रेड वेतन नहीं प्राप्त कर पाये है। उदाहरण– एक कार्मिक दिनांक 04–5–1988 को सहायक लेखाकार के पद पर (दिनांक 01–01–2006 से सहायक लेखाकार के पद के वेतनमान का सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2800) नियुक्त हुआ। 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 04–05–2002 को प्रथम वैयक्तिक पदोन्नत वेतनमान (लेखाकार के पद का ग्रेड वेतन रू0 4200) स्वीकृत हुआ। सन 2007 में इस कार्मिक की लेखाकार के पद पर वास्तविक पदोन्नति (ग्रेड वेतन रू0 4200 में) हो गई । ऐसी स्थिति में शासनादेश दिनांक 05–11–2014 के अनुसार कार्मिक दिनांक 01–12–2008 को अपने पद (लेखाकार) के साधारण वेतनमान (ग्रेड वेतन रू0 4200) में कार्यरत है अब उसे लेखाकार के पद पर 10 वर्ष की सेवोपरांत सन् 2017 में प्रथम ए0सी0पी के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य होगा, जबकि कार्मिक वर्ष 2017 तक प्रथम नियुक्ति की तिथि से 29 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका होगा। ऐसे प्रकरणों के दृष्टिगत शासन द्वारा सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से जिन्हें 16 वर्ष/26 वर्ष की नियमित,निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के बावजूद प्रथम नियुक्ति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से 2 अगला/3 अगला (यथास्थिति) ग्रेड वेतन प्राप्त नहीं हो पाया है, उन्हें 16 वर्ष/26 वर्ष की सेवा पर सीधे दूसरा/तीसरा ग्रेड वेतन देने की व्यवस्था निम्नवत कर दी गयी हैः–

(1)शासनादेश संख्या–50/2015–वे0आ0–2–871/दस–62(एम)/2008 दिनांक 26 अगस्त, 2015

(2)शासनादेश संख्या–8/2015–वे0आ0–2–190/दस–62(एम)/2008 टी0सी0–1 दिनांक 03 मार्च, 2015

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2015 सभी कार्मिकों को दूसरा ए0सी0पी0 सुनिश्चित नहीं कर रहा है । यह शासनादेश केवल उन्हीं कार्मिकों पर लागू है, जिन्हें सीधी भर्ती के पद पर 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर भी सीधी भर्ती के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से 2 अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ हो। उदाहरण– यदि किसी लेखाकार (सीधी भर्ती के पद का सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200) को 14 वर्षीय पदोन्नत वेतनमान (सादश्य ग्रेड वेतन रू0 4800) अनुमन्य हुआ हो तो उस पर शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2015 लागू नहीं होगा क्योंकि इस कार्मिक को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सीधी भर्ती के पद (लेखाकार) के सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 से 2 अगला ग्रेड वेतन (प्रथम–4600, द्वितीय–4800) मिल चुका है। ऐसे कार्मिक को शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार लाभ अनुमन्य होंगे।
इसी प्रकार शासनादेश दिनांक 3 मार्च 2015 सभी कार्मिकों को तीसरा ए0सी0पी0 सुनिश्चित नहीं कर रहा है । यह शासनादेश केवल उन्हीं कार्मिकों पर लागू है, जिन्हें सीधी भर्ती के पद पर 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर भी सीधी भर्ती के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से 3 अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ हो। उदाहरण– यदि किसी लेखाकार (पद का सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200) को 14 वर्षीय प्रथम वैयक्तिक पदोन्नत वेतनमान (सादश्य ग्रेड वेतनरू0 4800) एवं 24 वर्षीय द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नत वेतनमान (सादश्य ग्रेड वेतन रू0 5400) अनुमन्य हुआ हो तो उस पर शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 2015 लागू नहीं होगा क्योंकि इस कार्मिक को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सीधी भर्ती के पद (लेखाकार) के सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 से 3 अगला ग्रेड वेतन (प्रथम–4600, द्वितीय–4800 एवं तीसरा–5400) मिल चुका है। ऐसे कार्मिक को शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्था के अनुसार लाभ अनुमन्य होगे।

कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान–

- सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से नोशनल पदोन्नति किये जाने के मामले में कार्मिक विभाग से निर्गत उपर्युक्त शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर–1 (8) के अनुसार मूल नियम–27 के अन्तर्गत **वित्त विभाग की सहमति से ही** वेतन–निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है।
- यथासंशोधित मूल नियम–22–बी के उपनियम–(2)(एक), जो तदोलिखित विशिष्ट दशाओं में एक ही सेवा –संवर्ग में कनिष्ठ कार्मिक के वेतन की तुलना में किसी वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कम हो जाने की असंगति (Anomaly) के निराकरण से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत वेतन के पुनर्निर्धारण के आदेश शासनादेश सं0–जी–2–289/दस–84–302–82, दिनांक 31.03.1984 में निहित स्पष्टीकरण–निर्देशों के अनुसार शासन (प्रशासनिक विभाग) द्वारा **वित्त विभाग की सहमति से ही** किये जाने की व्यवस्था है।
- बाध्य प्रतीक्षाकाल के नियमन हेतु सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर समझे (माने) जाने के आदेश शासन (प्रशासनिक विभाग) द्वारा मूल नियम–9(6)(बी) सपठित शासनादेश

सं0–जी–1–528/दस–1999–213– 98, दिनांक 09.08.1999 के अन्तर्गत **वित्त विभाग की सहमति से ही** निर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

****

उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई–मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।